

जनपद बाराबंकी

प्रेस नोट सं0-59

दिनांक- 09.07.2021

थाना टिकैतनगर पुलिस द्वारा पुजारी हत्याकाण्ड का सफल अनावरण, 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर कब्जे से हत्या में प्रयुक्त सरिया एवं डायरी आदि बरामद ।

वादी कमलेश कुमार पुत्र सुरेशचन्द्र निवासी भुडेहरी थाना रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी ने थाना टिकैतनगर पर सूचना दिया कि मेरे पिता सुरेशचन्द्र वर्ष-2018 से खमोली स्थित हनुमान मन्दिर थाना टिकैतनगर में पुजारी थे और वहीं मन्दिर के पास बने कमरे में रहते थे । दिनांक-26.05.2021 को अज्ञात लोगों द्वारा मेरे पिता की हत्या कर दी गई है । इस सूचना पर थाना टिकैतनगर पर मु0अ0सं0-161/21 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री यमुना प्रसाद द्वारा घटना का सफल अनावरण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री मनोज कुमार पाण्डेय के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी रामसनेहीघाट श्री पंकज सिंह के पर्यवेक्षण में पुलिस टीमों का गठन किया गया। प्रभारी निरीक्षक टिकैतनगर के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य एवं डिजिटल साक्ष्य से घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। दिनांक-09.07.2021 को थाना टिकैतनगर पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इंटेलीजेंस के आधार पर अभियुक्त देशराज पुत्र स्व0 सम्पतराम निवासी ग्राम सराय बरई थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी को मोदी नगर मोड़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के निशांदाही पर हत्या में प्रयुक्त सरिया, 01 अदद पाकेट डायरी (अन्दर 03 अदद जमा पर्ची SBI), 01 अदद आधार कार्ड (मृतक सुरेशचन्द्र) व 2700/- रुपये बरामद किया गया। विवेचना से उक्त अभियोग में धारा 394/411 भादवि पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त देशराज ने पूछताछ पर बताया कि वह नशे का आदी है और शराब न मिलने पर धतूरे आदि का बीज खा लेता है। इसी नशे के कारण पूर्व में भी कई लोगों से मेरी मार-पीट हो जाती थी। दिनांक- 25/05/2021 को शाम सरायबरई चौराहे पर मैं एक दुकान पर खड़ा था कि उसी समय पुजारी बाबा सुरेशचन्द्र जो हनुमान मन्दिर पर रहते थे, साइकिल से आये और बात कर रहे थे कि गेहूं बेचकर 10 हजार रूपये मिले हैं, कल रूपये जमा करने रामसनेहीघाट जाऊंगा। मुझे भी रूपये की आवश्यकता थी क्योंकि मेरी एक आदमी से बात हुई और उसने मेरी शादी कराने के लिए 50 हजार रूपये देने की बात कही थी। उस दिन मैंने शाम को शराब पी और रात को करीब 1 बजे मन्दिर गया। मैंने रूपये निकालने के लिए दरवाजा खोलना चाहा तो बाबा जग गये और पहचान जाने के डर से बगल में रखे सरिया से बाबा के सिर पर वार किया बाबा के चिल्लाने पर उनके चेहरे पर उसी सरिया से प्रहार किया। सरिया को नहर पुलिया के पास झाड़ियों में फेंक दिया। घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार व सर्विलांस के माध्यम से घटना के समय अभियुक्त की उपस्थिति घटनास्थल के आस-पास होने

की पुष्टि हुई है एवं अभियुक्त से प्राप्त कपड़ों पर खून के छींटे भी मिले हैं, जिनकी पुष्टि मानव रक्त के रूप में हुई है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

देशराज पुत्र स्व० सम्पतराम निवासी ग्राम सराय बरई थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी

बरामदगी का विवरण -

- 1- हत्या में प्रयुक्त सरिया,
- 2- 01 अदद पाकेट डायरी (अन्दर 03 अदद जमा पर्ची SBI),
- 3- 01 अदद आधार कार्ड (मृतक सुरेशचन्द्र)
- 4- 2700/- रुपये

पुलिस टीम-

- 1- प्रभारी निरीक्षक श्री नारदमुनि सिंह थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी
- 2- उ०नि० श्री दीपेन्द्र विक्रम सिंह थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी
- 3- हे०का०राजकुमार वर्मा, का० ऋषभ भदौरिया थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी
- 5- का० अभिषेक सिंह, का० गौरव शर्मा थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी
- 6- का० मुदित कुमार, म०का० प्रिया सिंह थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी